



## सड़क कार्यों के लिये हरति नधिका उपयोग

[स्रोत: इंडियन एक्सप्रेस](#)

**केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड** (Central Pollution Control Board- CPCB) **वायु प्रदूषण** से नपिटने के लिये नरिधारति धनराशिका उपयोग सड़क मरम्मत और पक्की सड़क नरिमाण कार्यों हेतु कर रहा है।

- **राष्ट्रीय हरति अधिकरण (National Green Tribunal- NGT)** ने धन के इस दुरुपयोग पर चतिा व्यक्त की है तथा इसे संभावति रूप से "घोर दुरुपयोग और गंभीर वत्तितीय अनयिमत्तिता" बताया है।

## सड़क नरिमाण कार्यों हेतु CPCB द्वारा ग्रीन फंड के उपयोग का मुद्दा क्या है?

- **वचिराधीन फंड:**
  - **पर्यावरण संरक्षण शुल्क (EPC):** वर्ष 2016 के [सर्वोच्च न्यायालय](#) के आदेश के आधार पर, दलिली- NCR में 2000 CC या उससे अधिक इंजन क्षमता वाले डीज़ल वाहनों पर 1% शुल्क के रूप में वसूला जाता है।
  - **पर्यावरण क्षतिपूर्ति (EC):** NGT द्वारा लगाए गए मुआवज़े से एकतरति और CPCB द्वारा प्रबंधति।
  - ये फंड **वायु प्रदूषण और अन्य पर्यावरणीय मुद्दों से नपिटने के वशिषिट उद्देश्य** से बनाए गए थे। हालाँकि सड़क नरिमाण के लिये उनके हालिया उपयोग ने कानूनी जाँच को जन्म दिया है।
- **CPCB का औचित्य:** CPCB का तर्क है कि सड़क की मरम्मत और पक्की सड़क बनाने का कार्य सीधे तौर पर धूल प्रदूषण को कम करने में योगदान देता है, जो शहरी क्षेत्रों में **खराब वायु गुणवत्ता** के लिये महत्त्वपूर्ण कारण है।
  - उनका दावा है कि यह वत्तिपोषण दृष्टिकोण **राष्ट्रीय स्वच्छ वायु कार्यक्रम** (National Clean Air Programme- NCAP) 2019 के अनुरूप है, जो स्वच्छ वायु नगर कार्य योजनाओं के कार्यान्वयन के लिये एक अभसिरण मॉडल को अपनाता है।
    - सीपीसीबी का कहना है कि यह इन नधियों का उपयोग वायु गुणवत्ता सुधार परियोजनाओं के लिये अंतराल वत्तिपोषण के रूप में करता है, जब **उन्हें अन्य योजनाओं द्वारा समर्थन नहीं मलित** है।
    - CPCB ने आठ सड़क परियोजनाओं के लिये गाज़ियाबाद नगर नगिम को आवंटति 98.9 करोड़ रुपए की EPC नधिमें से 15.9 करोड़ रुपए के वत्तिपोषण के मामले को उजागर किया है तथा यह सुनश्चिति किया है कि किसी अन्य योजना से इन कार्यों का वत्तिपोषण नहीं किया गया।
      - प्रासंगिक समतियों द्वारा अनुमोदति यह आवंटन, वायु गुणवत्ता में सुधार हेतु सड़क नरिमाण कार्यों के लिये CPCB द्वारा धन के उपयोग को दर्शाता है।
- **NGT की चतिाएँ और जाँच:** NGT वायु गुणवत्ता सुधार नधि को **सड़क मरम्मत में लगाने के कारण** संभावति दुरुपयोग और वत्तितीय अनयिमत्तिताओं के बारे में चतिति है।
  - यदि CPCB यह प्रथा जारी रखता है, तो अन्य नगर नकिया भी इसी प्रकार के आवंटन की मांग करेंगे, जसिसे नषिपक्षता और नधिउपयोग संबंधी मुद्दे उठेंगे।
  - **NGT को अभी इन नधियों के उपयोग की अनुमतिपर नरिणय लेना** है, यह नरिणय CPCB द्वारा नधियों के भवषिय के उपयोग को भी प्रभावति करेगा और पर्यावरण संरक्षण तथा बुनयािदी ढाँचा वकिस परियोजनाओं पर नीतगित नरिणयों को प्रभावति कर सकता है।
    - इसके अतरिकित, इस मुद्दे पर 53 शहरों में खराब वायु गुणवत्ता के संदर्भ में वचिरा किया जाएगा तथा संभवतः इसे व्यापक वायु गुणवत्ता प्रबंधन रणनीतियों से जोड़ा जाएगा।

## केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के बारे में मुख्य तथ्य क्या हैं?

- **स्थापना एवं कानूनी ढाँचा:** CPCB एक वैधानिक संगठन है जसिका गठन वर्ष 1974 में जल (प्रदूषण की रोकथाम और नियंत्रण) अधनियम, 1974 के तहत किया गया था। इसे वायु (प्रदूषण की रोकथाम और नियंत्रण) अधनियम, 1981 के तहत कार्य सौंपा गया था।
  - यह पर्यावरण (संरक्षण) अधनियम, 1986 के अंतरगत पर्यावरण एवं वन मंत्रालय को तकनीकी सेवाएँ भी प्रदान करता है।
- **मुख्य कार्य:**
  - **जल प्रदूषण:** जल प्रदूषण को रोकने, नियंत्रति करने और कम करने के द्वारा नधियों तथा कुओं की सफाई को बढ़ावा देना।
  - **वायु प्रदूषण:** देश में वायु प्रदूषण की रोकथाम, नियंत्रण या कमी करके वायु गुणवत्ता में सुधार करना।
- **वायु गुणवत्ता नगरानी:**



PDF Refernece URL: <https://www.drishtias.com/hindi/printpdf/cpcb-defends-use-of-green-funds-for-road-works>

